

सेवा में,

परियोजना निदेशक  
आत्मा, रामगढ़।

Passport  
size photo

संदर्भ - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दलहन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के कार्यान्वयन हेतु प्रगतिशील कृषक एवं कृषक समुह के लिए सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. पॉवर नेपसेक स्प्रेयर         | 8. स्पीकलर       |
| 2. नेपसेक स्प्रेयर (हस्त चालित) | 09. पम्प सेट     |
| 3. जिरो टील सीड ड्रिल           | 10. सिंचाई पाइप  |
| 4. सीड ड्रिल                    | 11. मोबाईल रेनगन |
| 5. रिज फरोपलान्टर               | 12. मिनी दाल मिल |
| 6. रोटावेटर                     |                  |
| 7. मल्टी क्रॉप थ्रेसर           |                  |

महाशय,

हम कृषक/कृषक समुह का नाम .....पिता/पति.....  
ग्राम..... पंचायत/वार्ड सं०.....मो० नं०....., आधार नं०.....  
बैंक का नाम..... खाता संख्या..... IFSC Code ..... जमीन का  
खाता संख्या ..... प्लॉट संख्या..... प्रखण्ड.....जिला - रामगढ़ के स्थाई निवासी हैं। हम या हम  
सभी अनु०ज०जा०/ पिछड़ी/ सामान्य जाति/ महिला कृषक हैं। हम/हम सभी..... यंत्र  
प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। हम/ हम सभी कृषक समुह के पास कुल कृषि योग्य .....एकड़ भूमि  
उपलब्ध है।

सिंचाई स्रोत का नाम :-.....

अतः अनुरोध है कि हमें अनुदानित दर पर .....यंत्र उपलब्ध कराने की कृपा  
की जाय।

- (क) कृषि उपकरण का ब्रांड .....
- (ख) कृषि उपकरण का मूल्य .....
- (ग) देय राशि .....
- कुल राशि .....

अनुदान की राशि (50 प्रतिशत) .....

हमारे द्वारा देय राशि (50 प्रतिशत) .....

कुल - .....

अन्य .....

जनप्रतिनिधि के द्वारा  
के द्वारा अनुशंसित  
(मुहर के साथ)

बी०टी०एम०/ए०टी०एम  
के द्वारा अनुशंसित  
(मुहर के साथ)

कृषक का हस्ताक्षर/कृषक समुह के  
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

## शपथ - पत्र

मैं कृषक/कृषक समुह का नाम ..... पिता/पति.....  
ग्राम..... पंचायत/वार्ड सं०..... मो० नं०.....  
आधार नं०..... बैंक का नाम..... खाता सं०.....  
.....IFSC Code ..... जमीन का खाता सं०..... प्लॉट सं०.....  
..... प्रखण्ड..... जिला - रामगढ़ शपथपूर्वक कहता हूँ कि अनुदानित दर पर प्राप्त .....  
..... यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर लेने इच्छुक हूँ। मैं अपनी इच्छा से  
कृषि यंत्र लेना चाहता हूँ। जिसकी कुल राशि ..... रुपया, अनुदान कि राशि  
..... रुपया के अतिरिक्त शेष राशि ..... की स्वयं बैंक  
ड्राफ्ट/चेक/नकद अदा करेंगे।

मेरे द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त समान/कृषि यंत्र किसी दुसरे को बेचने का कार्य किया गया तो मेरे उपर नियमानुसार कारवाई की जा सकती है, जिसके लिए परियोजना निदेशक, आत्मा स्वतंत्र होंगे एवं मेरे द्वारा रा०खा०सु०मि० (दलहन) योजनांतर्गत से विगत दो वर्षों में अनुदानित दर पर कोई लाभ नहीं लिया गया है।

गवाह का नाम एवं पता :- (1) .....  
आधार सं०.....  
मो० सं०.....  
(2) .....  
आधार सं०.....  
मो० सं०.....

कृषक का हस्ताक्षर/ कृषक समुह के  
प्रतिनिधि का हस्ताक्षर